(TI) पर वकील वादी ... 13/8/24 को पेश हो।
पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/8/24

13.08.24 वकील वादी उप०, गत तारीख पेशी पर वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र (TI) पर बहस सुनी गई थी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 R.T.Act. पर दिनांक 08.03.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अन्तरीम अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षीगण को पाबन्द किया गया था कि वे आ० ता० पेशी तक कि आ० ख० नं० 1125/0.38 वाके ग्राम सुन्दरावली तह० नगर का 1/5 हिस्सा जो अप्रार्थी संख्यां 02 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है को दीगर व्यक्तियों को रहन बय मुन्तकिल नहीं करें, मामला के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करें एवं मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।
इसके पश्चात आगामी तारीख पेशी तक अन्तरीम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रवृत्त रही।
प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्य को दोहराते हुये कथन किया कि ख० नं० 1078/0.33, 1125/0.38, 1131/0.40, 1133/0.53, 1134/0.25 वाके ग्राम सुन्दरावली तह० नगर मे स्थित है, उक्त आराजी के सम्पूर्ण हिस्सा मे से 1/5 हिस्सा [illegible] जोरावर जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुन्दरावली [illegible] की खातेदारी का रकबा था। जिसमें सायला को अपना 1/5 हिस्सा रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 23/04/2004 द्वारा

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:42 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बत्तो देवी बनाम बिरमा देवी 29/22	
—	उपपंजीयक नगर के समक्ष प्रस्तुत कर पंजिबद्ध करा कर दस्तखत व कब्जा सामला प्रार्थिया को सुपुर्द कर दिया था। प्रार्थिया द्वारा क्रय की गई जमीन का नामांतरकरण संख्या 1142 से दर्ज होकर 05/06/2004 को स्वीकार हुआ। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व अनदेखी से चौशाला जमाबंदी बनाते समय खसरा नं. 1125/0.38 बाके ग्राम सुंदरावली के 1/5 हिस्से की जमीन को अप्रार्थी संख्या 01 बिरमा के नाम बिना किसी पंजिबद्ध दस्तावेज के तथा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के नवीन राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अभिलेख कर दिया है। प्रार्थिया सायला वृद्ध महिला होने के साथ-साथ ग्रामीण परिवेश मे रहने वाली अशिक्षित घरेलू महिला है, और कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ है, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुये अवैधानिक एवं अनियमितता मे गैरसायल सं. 01 बिरमा ने जानबूझकर गलत प्रवृत्तियो के आधार पर अपने कुटुम्ब मे रिश्ते मे लगने वाली जिठानी महिला गैरसायल संख्या 02 को बिना किसी प्रतिफल व कब्जे के मात्र कागजी तौर पर तथाकथित बयनामा बाबत आराजी खसरा नं. 1125/0.38 के 1/5 हिस्से का दिनांक 29/05/2020 को उपपंजीयक नगर के समक्ष पंजिबद्ध बयनामा करा दिया है, जिसके आधार पर राजस्व कर्मचारियों ने गैरसायल संख्या 02 के पक्ष मे दाखिल खारिज दर्ज कर [illegible] जमाबंदी मे नाम दर्ज कर दिया है [illegible] गैरसायलान से दिनांक [illegible] कि आप मेरी जमीन को वापस मेरे [illegible] करा दो, तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया, और गैरसायलान 02 ने ऐलानियाँ धमकी दी है कि आज जमीन मेरे नाम दर्ज है, और मै मेरी जमीन को अपनी मनमर्जी	

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:42 IST
Reason: SelfAttested

रतनदेवी व. विरगादेवी प्र.पत्र 212 CPC 29/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म की में कार्यवाही
	मुताबिक किसी भी व्यक्ति को बेचने का अधिकार रखती है, यदि ऐसा हुआ तो सामला को नुकसान कारित होगा जिसकी पूर्ति उसे नकद अथवा किसी भी तरह से संभव नहीं होगी, बीं वजह सामला विरुद्ध गैरसायलान वाकेसला खि. आ. रक. नं. 1125/0.38 पर अंतिम अस्थायी निषेधाज्ञा पाने की हकदार है।	
	पत्रावलि का समग्र अध्ययन/अवलोकन किया गया। इसके उपरान्त हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थिया का पक्ष में साबित होती है।	
	इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिनांक 08.03.2022 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की पुष्टि मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर सलंग्न मूल वाद रहे। निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	(अनुराग [signature] हरित)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:42 IST
Reason: SelfAttested